

सं.1(3)/2008-ई.॥(बी)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग


नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

**विषय:-** छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.01.2018 से लागू दर।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 26 सितंबर, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में 01.07.2017 से संशोधन के संबंध में है।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर 01.01.2018 से मौजूदा 139% से बढ़ाकर 142% कर दी जाएगी।
3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा.सं. 1(3)/2008-ई.॥(बी) के पैरा 3,4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।
4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।



(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि अग्रेषित: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)